शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

<u>विद्या परिषद की बैठक 07.09.2015</u>

प्रस्ताव क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	आनर्स पाठयक्रम व सी.बी.सी.एस प्रणाली लागू करनें हेतु अनुमोदन	01
2	स्नातक/स्नाताकोत्तर पाठयक्रमों का अनुमोदन	02
3	आनर्स पाठयक्रम प्रवेश हेतु नियमों का अनुमोदन	02–03
4	गृह विज्ञान एवं वाणिज्य विभाग द्वारा प्रस्तुत नये पाठ्यक्रमों का अनुमोदन	03
5	संस्कृत विषय के अध्ययन मंडल के सदस्य के मनोनयन का अनुमोदन	03
6	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव	03

प्रभारी, स्वशासी प्रकोष्ठ

<u>विद्या परिषद की बैठक हेतु प्रस्ताव</u>

<u>प्रस्ताव क्रमांक – 1 ऑनर्स पाठ्यक्रम, सी.बी.सी..एस लागू करने हेतु अनुमोदन।</u>

स्नातक स्तर पर आनर्स पाठ्यक्रम व सी.बी.सी. प्रणाली क्रियान्वित करने हेतु बिलासपुर विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 905/अका./204 बिलासपुर दिनांक 23.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की सर्वसम्मति से (बैठक दिनांक 24.06.2015) निम्न विषयों में आनर्स व सी.बी.सी. प्रणाली लागू करना प्रस्तावित है।

(1) आनर्स पाठ्यक्रम : भूगोल, वाणिज्य, गृहविज्ञान, इतिहास।
(2) सी.बी.सी.एस : विभागाध्यक्षां की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सेमेस्टरवार सी.बी.सी.एस. प्रणाली निम्नानुसार लागू की जावेगी।

सेमेस्टर	विषय
तृतीय सेमेस्टर	अर्थशास्त्र, वनस्पति शास्त्र
चतुर्थ सेमेस्टर	इतिहास, प्राणी शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य
पंचम सेमेस्टृ	भूगोल, रसायन शास्त्र
षष्ठम सेमेस्टर	कौशल विकास

अतः उपरोक्तानुसार आनर्स व सी.बी.सी.एस प्रणाली (Choice based Credit System) क्रियान्वित करने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत।

<u>प्रस्ताव क्रमांक – 2 स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन</u>

(1) स्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत भाग तीन हेतु सभी संकायों (बी.ए. /बी.कॉम./बी.एससी/बी.एससी. गृहविज्ञान/क्लीनिकल न्यूट्रीशन, फ्ड एवं क्वालिटी कंट्रोल/बी.सी.ए.) तथा पी.जी.डी.सी.ए/डी.सी.ए. के पाठयक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
(2) स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के सभी विषयों के पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
(3) स्नातक स्तर में तृतीय सेमेस्टर से लागू भूगोल, इतिहास, वाणिज्य, गृहविज्ञान विषय के आनर्स पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत।
(4) स्नातकोत्तर स्तर के विभिन्न विषयो (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, भूगोल, राजनीति शास्त्र,समाजशास्त्र अर्थशास्त्र, इतिहास, प्राणीशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, एम.कॉम, आहार एवं पोषण, मानव विकास, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाईडेंस एण्ड काउंसलिंग, बी.लिब आई.एस.सी के अध्ययन मंडल द्वारा पारित सेमेस्टर पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

(5) अर्थशास्त्र, इतिहास, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र,गृह विज्ञान तथा वाणिज्य विषय के सी.बी.सी.एस प्रणाली के पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

<u>प्रस्ताव क्रमांक–3 आनर्स पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु नियमों का अनुमोदन</u>

सत्र 2015–16 से तृतीय सेमेस्टर से भूगोल वाणिज्य, इतिहास व गृहविज्ञान विषय में आनर्स पाठ्यक्रम लागू हो रहा है। अतः आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपरोक्त विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा दिनांक 13.07.2015 व 14.08.2015 में निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

(1) आनर्स पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर से ही प्रवेश की पात्रता छात्राओं को होगी किन्तु पाठ्यक्रम तृतीय सेमेस्टर से ही क्रियान्वित होगा।

(2) आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता 60% निर्धारित की गयी। अनुजाति व जनजाति हेतु नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता में 5% छूट दी जावेगी।

(3) आनर्स पाठ्यक्रम हेतु सीट्स का निर्धारण प्रवेश के समय ही किया जावेगा। जिन विषयों में आनर्स पाठयक्रम लागू है उन विषयों में कुल सीट संख्या की 20% सीट् संख्या आनर्स पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित की गयी। तदनुसार सत्र 2015–16 से प्रारंभ विभिन्न विषयों के लिये सीट् की संख्या इस प्रकार होगी–

(1) भूगोल – 30

(2) इतिहास – 30

(3) वाणिज्य – 40

(4) बी.एस.सी गृह विज्ञान – 10

(5) बी.एस.सी क्लीनीकल न्यूट्रीशियन – 15

(6) बी.सी.ए – 50

(4) आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शासकीय आरक्षण नीति के अनुसार होगी।

(5) प्रथम सेमेस्टर में आनर्स पाठयक्रम के चयन के पश्चात् यदि छात्रा प्रथम व द्वितोय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो अथवा बैक हो,तो वहआनर्स पाठयक्रम हेतु अपात्र होगी। तृतीय सेमेस्टर में नये विद्यार्थी भी आनर्स पाठ्यक्रम ले सकते है।

(2)

(6) विद्यार्थी आनर्स पाठयक्रम को परिवर्तित कर पास पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। इस हेतु उसे आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के 15 दिन के भीतर आवेदन देना होगा।

(7) बी.सी.ए. पाठ्यक्रम पूर्णतः आनर्स पाठयक्रम होने के कारण प्रवेश नियम छत्तीसगढ शासन के नियमानुसार यथावत रहेंगे।

प्रवेश संबंधी शेष नियम छ.ग. शासन व बिलासपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम के अनुसार यथावत रहेंगे।

उपरोक्त निर्णयानुसार आनर्स पाठ्यक्रम से संबंधित प्रवेश नियम विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

<u>प्रस्ताव क्रमांक–4 गृह विज्ञान एवं वाणिज्य विभाग द्वारा प्रस्तुत नये पाठ्यक्रमों का अनुमोदन</u>

महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की बैठक (14.07.2015) में गृहविज्ञान की छात्राओं की मांग पर स्ववित्तीय आधार पर फैशन डिजाइनिंग का रोजगारउन्मुख पाठयक्रम तथा वाणिज्य विभाग द्वारा एम.लिब. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई। उक्त पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु जनभागीदारी समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव यथावत विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

वाणिज्य विभाग द्वारा टैली प्रशिक्षण संस्थान के साथ एम.ओ.यू करके महाविद्यालयीन वाणिज्य संकाय की छात्राओं के लिये स्ववित्तीय आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव भी विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव क्रमांक–5 संस्कृत विषय के अध्ययनमंडल के सदस्य का अनुमोदन।</u>

महाविद्यालय के संस्कृत विषय के अध्ययनमंडल के सदस्य श्री त्रिपाठी जी के निधन के कारण प्राचार्य द्वारा पूर्व गठित अध्ययनमंडल में परिवर्तन कर (No.457/Auto.BOS/2015, Bilaspur Dated 15.07.2015) डॉ. एस.तिवारी को सदस्य मनोनित किया है। संस्कृत विषय के अध्ययनमंडल हेतु प्राचार्य द्वारा मनोनित सदस्य के अनुमोदन हेतु विद्यापरिषद् के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव क्रमांक–6 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।</u>

Autonomous In-charge